P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-8* (Part-1) November- 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा शिक्षण अनुदेशन में भाषाओं के औचित्य का विवरण

शैला जोशी
सहायक प्रोफेसर,
हिन्दी विभाग,
राजकीय महाविद्यालय,
चिन्यालीसौंड़, उत्तरकाशी
उत्तराखण्ड़

संजीव कुमार
शोध छात्र,
शिक्षा विभाग,
बिड़ला परिसर,
हे0ब0न0ग0 केन्द्रीय वि0वि0,
श्रीनगर गढ़वाल

सारांश

प्राचीन काल मे शिक्षा के क्षेत्र में भारत विश्वगुरू के नाम से प्रतिष्ठित था, हमारी यह शिक्षा व्यावहारिक, व्यक्तित्व का विकास करने वाली एवं सत्य की खोज पर ही आधारित थी। वैदिक कालीन शिक्षा के दो ही स्तर थे– प्राथमिक (सामान्य) एवं उच्च शिक्षा, इसी प्रकार की स्थिति बौद्धकाल में भी रही किन्तु बौद्धकाल में नालन्दा, तक्षशिला, विक्रमशिला तथा वल्लभी आदि कुछ विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई जिन्होने भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का विश्व में डंका बजाया। मुगलकाल में भी मकतबों में प्रारम्भिक शिक्षा तथा मदरसों में उच्च शिक्षा दी जाती थी। माध्यमिक शिक्षा की भारत में प्रारम्भ करने का श्रेय ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन काल में इसाई मिशनरियों को जाता है। अंग्रेजों ने माध्यमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु कार्य किये। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में तेजी से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन हुए, इनमें उचित समन्वय हेतु केन्द्रीय शिक्षा सलाहकाल बोर्ड ने भारत सरकार को माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन हेतु एक आयोग गठित करने का सुझाव दिया, इसी कारण भारत सरकार ने 1952 में मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ0 लक्ष्मणस्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया प्रस्तुत आलेख में आयोग की भाषा सम्बन्धी सिफारिशों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

मुख्य शब्द : शिक्षण अनुदेशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग।

प्रस्तावना

भारत को विदेशी आक्रान्ताओं ने सैकड़ों वर्ष तक गहरे घाव दिये, भारत की संस्कृति एवं गौरव को समाप्त करने में किसी ने कोई कसर न छोड़ी। अंग्रेज आखिरी शासक थे, जिनकी गुलामी से हम 1947 में स्वतंत्र हुए। स्वतन्त्रता के पश्चात सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामारिक हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करना भारत सरकार की मुख्य चुनौतियों में से एक थी दूसरी ओर निरक्षरता अन्मूलन भी एक समस्या थी। इस संदर्भ में यह भी सत्य है कि अंग्रेजी शासनकाल में ही आधुनिक भारतीय शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ। अंग्रेजी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था ऐसे पढें लिखे भारतीय नवयुवकों को तैयार करना जो अंग्रेजी पढ़कर उनके शासन में सहायक सिद्ध हो सकें लार्ड मैकाले ने तो अपने विवरण पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि "अंग्रेजी की शिक्षा के द्वारा ऐसें भारतीय का निर्माण किया जा सकता है जो रक्त एवं रंग में भारतीय है, पर रूचियों, विचारों नैतिकता एवं विद्वता में अंग्रेज होंगे।"

अध्ययन के उद्देश्य

शोधकर्ता ने शिक्षण अनुदेशनों में भाषाओं के महत्व के अध्ययन के लिए निम्न उद्देश्यों का निर्धारण किया।

1. माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा निर्धारित शिक्षण अनुदेशनों का अध्ययन करना।
2. माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा शिक्षण अनुदेशनों में भारतीय भाषा (हिन्दी एवं संस्कृत) के औचित्यों का अध्ययन करना।
3. माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा शिक्षण अनुदेशनों में विदेशी भाषा (अंग्रेजी) के औचित्यों का अध्ययन करना।

माध्यमिक शिक्षा का इतिहास

भारत में माध्यमिक शिक्षा को प्रारम्भ करने का पूरा श्रेय इसाई मिशनरियों को ही जाता है। इन्होंने ही 18 वी0 शताब्दी के उत्तरार्द्ध में देश के कुछ हिस्सों में माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की बाद में इन्हीं के कार्यो से प्रेरित होकर 19वी0 शताब्दी के प्रारम्भ में कुछ भारतीयों ने भी माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की। यदि हम भारतीय शिक्षा के इतिहास की ओर

दृष्टिपात करें तो यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारत के वैदिक काल में शिक्षा के दो ही स्तर थे, प्रारम्भिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा। इसी प्रकार बौद्ध काल में भी शिक्षा के दो ही स्तर थे यह सत्य है कि बौद्ध काल में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत विश्व प्रसिद्ध था एवं बौद्धकाल में कई विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई जिन्होने भारतीय शिक्षा की ख्याति से पूरे विश्व को आलौकित कर दिया। मुगल काल में भी प्रारम्भिक शिक्षा मकतबो में दी जाती थी तथा उच्च शिक्षा मदरसों में। भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी शासन काल में उनके द्वारा माध्यमिक शिक्षा के प्रसार हेतु किये कार्यो का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है–

सर्वप्रथम 1939 में कम्पनी ने निर्णय लिया कि भारतीयों से प्रशासन कार्य में मदद के लिए उन्हें अंग्रेजी पढ़ाई जाय इसी क्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि 1844 में लार्ड हार्डिंग ने कम्पनी में रोजगार प्राप्त करने हेतु भारतीयों के लिए द्वार खोल दिया। 1854 के वुड के घोषणा पत्र ने नये विद्यालय प्रारम्भ करने हेतु "सहायता अनुदान प्रणाली" को लागू कर प्रोत्साहित करने का कार्य किया । 1882 में हण्टर कमीशन ने तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा को अत्याधिक साहित्यिक होने के कारण उसके पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषयों को भी सम्मिलित करने हेतु संस्तुति दी। 1917 में सैड़लर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा को विश्वविद्यालयों के चंगुल से मुक्त कर माध्यमिक शिक्षा से सम्बधित सभी कार्यो को सम्पन्न करने हेतु प्रत्येंक प्रान्त में माध्यमिक एवं इण्टरमीडिएट शिक्षा परिषद का गठन करने का सुझाव दिया। 1929 में हर्टाग समिति ने महसूस किया कि यद्यपि माध्यमिक शिक्षा में कुछ प्रगति तो हुई है, किन्तु मैट्रीकुलेशन परीक्षा में छात्र बड़ी संख्या में अनुर्तीण हो रहे है। इससे अपव्यय हो रहा है। भाषा के प्रति वुड एवट रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। वुड–एबट ने उल्लेख किया कि निम्न माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी शिक्षण पर अधिक जोर न दिया जाय साथ ही हाईस्कूल स्तर तक के सभी विद्यालयो में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो। सार्जेण्ट कमीशन ने भी 1944 में महत्वपूर्ण सिफारिश माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन हेतु की थी।

1947 में देश स्वतन्त्र हुआ केन्द्रीय शिक्षा सलाहाकार बोर्ड ने 1948 में सरकार को माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन हेतु एक आयोग गठित करने का सुझाव दिया। इसी के कारण 1952 में सरकार ने माध्यामिक शिक्षा आयोग का गठन किया। मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ0 ए0 लक्ष्मणस्वामी मुदालियर तथा सचिव श्री ए0एन0 वसु, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान आयोग के सचिव थे। इस आयोग में सभी राज्यों की माध्यमिक शिक्षा की स्थिति, सुधार के उपायों एवं दोषों को अपने 244 पृष्ठों तथा 15 अध्यायों में विभक्त प्रतिवेदन में भारत सरकार को 1953 में प्रस्तुत कर दिया।

आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार कर संस्तुति दी। शिक्षण माध्यम के सम्बन्ध में भाषाओं की महत्ता का विवरण इस प्रकार है।

माध्यमिक विद्यालय में शिक्षण माध्यम

आयोग ने गंभीरता से विचार कर विद्यालयों में कौन– कौन सी भाषाओं का अध्ययन किया जाय इस पर अपने स्पष्ट विचार प्रकट किये तथा हिन्दी, अग्रेंजी एवं संस्कृत के महत्व को स्पष्ट रूप से अंकित किया, इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

हिन्दी

आयोग ने हिन्दी की महत्ता को स्वीकार करते हुए इसे विद्यालयों में अनिवार्य विषय बनाने की स्पष्ट संस्तुति की, हायर सेकेन्डरी में कम से कम दो भाषाओं का अध्ययन किया जाए जिनमें एक मातृभाषा हो हिन्दी अध्ययन के संदर्भ में आयोग के तर्क इस प्रकार है :–

1. हिन्दी को भारत के संविधान ने राष्ट्रभाषा का गौरव प्रदान किया है।
2. राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने के कारण यह संचार की भाषा बन जायेगी। इस कारण भारत में यह विचार विनिमय का माध्यम भी स्वतः ही बन जायेगी।
3. राष्ट्रभाषा होने के कारण यह भारत की एकता अखण्डता एवं सुदृढ़ता में भी सहायक सिद्ध होगी।
4. जिन लोगों को हिन्दी का ज्ञान नही होगा, वे हिन्दी जानने वाले बहुसंख्यकों के विचारों को नही समझ पायेगें तथा उन्हें सरकारी सेवाओं का लाभ भी नही मिल पायेगा।

अंग्रेजी

वर्तमान समय में अंग्रेजी अन्तराष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित है, विश्व के सभी देशों के लोग अंग्रेजी की ओर आकर्षित हुए है। अग्रेंजी के सन्दर्भ में आयोग ने स्वीकार किया है कि यह भारत के सभी राज्यों के माध्यमिक विद्यालयों में एक अनिवार्य विषय है, भविष्य में भी इसे इसी रूप में रहने दिया जाना चाहिए। अंग्रेजी के समर्थन में आयोग ने निम्न तथ्यों को उजागर किया।

1. अंग्रेजी का प्रचलन शिक्षित तबके में बहुतायत से है एवं यह लोकप्रिय भी है।
2. भारत के हिन्दी भाषी एवं गैर हिन्दी भाषी राज्यों के निवासियों के मध्य अंग्रेजी ने राष्ट्रीय एकता उत्पन करने में अंग्रेजी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
3. अंग्रेजी के अधिक प्रचलन के कारण भारत को अन्तराष्ट्रीय स्थिति अच्छी है।
4. यदि हम द्वेषपूर्ण भावना के कारण माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम से इसे अलग कर देंगे तो इसका परिणाम देश के लिए अच्छा नहीं होगा।

संस्कृत

माध्यमिक शिक्षा आयोग ने विद्यालयों में संस्कृत विषय के औचित्य के संदर्भ में अपने ठोस सुझाव दिये।

1. संस्कृत देव भाषा है, साथ ही अनेक भारतीय भाषाओं की जननी है।
2. संस्कृत ने भारतीय समाज को सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टियों से सम्पन्न किया है इस कारण इसकी अवहेलना अनुचित होगी।
3. संस्कृत भाषा के ज्ञान से ही हम अपने प्राचीन धर्म ग्रन्थों का अध्ययन कर लाभान्वित हो सकते है।

निष्कर्ष

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53) ने भारत की माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को उच्च स्थिति में पहुंचाने के लिए अनेक सुझावों के द्वारा आमूलचूल परिवर्तन करने का सुझाव दिये, लेकिन भारत को लचर राजनैतिक व्यवस्था

इसके सभी सुझावों में कुछ ही सुझावों पर अमल किया। डॉ0 मुदालियर की अध्यक्षता में बना आयोग एक सम्पन्न आयोग था जिसका मुख्य उदेद्श्य भारतीय माध्यमिक शिक्षा को एक नये पायेदान पर लाना था। न केवल व्यवसायिक पाठ्यक्रम की ओर बल्कि भाषायी, कौशल पूर्ण एवं व्यवहारिक अनेक पक्षों को सुद्धढ़ करने के लिए अनेक सुझावों को प्रस्तुत किया। यदि आयोग द्वारा निर्धारित सुझावों पर अमल किया जाता तो आज भारतीय माध्यमिक शिक्षा अमेंरिका एवं जर्मनी की माध्यमिक स्तर की शिक्षा के समकक्ष होती। भारत वर्ष को 21 वी शताब्दी का युवा राष्ट्र कहा जाता है किन्तु यदि बेरोजगार युवा देश कहा जाए तो गलत नही होगा क्योकि माध्यमिक स्तर की शिक्षा में पश्चात् आज भी अधिकांश युवाओं को कोई भी रोजगार नही है। वर्तमान भारतीय सरकार को नयें सिरें से आयोग के सुझावों पर अमल करते हुए वर्तमान युवाओं के रोजगार पर भी ध्यान देना आवश्यक हो गया है और यही समय की पुकार है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *पाठक, पी0डी0 (2014), भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएं, सप्तम संस्करण विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।*
2. *शर्मा, आर0 ए0 (2016) भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास, पंचम संस्करण आर0 लाल0 बुक डिपों, मेरठ।*
3. *पाण्डें, कामता प्रसाद, (2014) भारतीय शिक्षा, वारणासी पब्लिकेशन, वाराणसी।*
4. *लाल एवं पलोड (2008), भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएं, आर0 लाल0 बुक डिपों, मेरठ।*
5. *सिंह, निरन्जन कुमार (2017) माध्यमिक विद्यालयों में हिन्दी शिक्षण, ग्यारवहॉ संस्करण, मानव संसांधन विकास मंत्रालय, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।*
6. *पुरोहित, जगदीश नारायण (2017), शिक्षण के लिए आयोजन, आठवॉ संस्करण, मानव संसांधन विकास मंत्रालय, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।*
7. *अग्निहोत्री, रविन्द्र (2016), आधुनिक भारतीय शिक्षा समस्या और समाधान, सातवां संस्करण, मानव संसांधन विकास मंत्रालय, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।*